न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 57/2016 जिला दौसा

1. कल्याण पुत्र श्री धन्ना
2. कन्हैया पुत्र श्री धन्ना
3. कल्याणी देवी बेवा मूलचन्द
4. मुकेश
5. रामसिंह
6. विनोद

पुत्रान मूलचन्द

समस्त जातियान बैरवा, निवासीगण इन्दावा, तहसील लालसोट, जिला दौसा

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजाराम
2. जियालाल
3. श्यामलाल
4. धर्म सिंह

पिसरान छाजूराम, जाति बैरवा, निवासीगण इन्दावा, तहसील लालसोट, जिला दौसा ।

5. चेतन प्रकाश पुत्र श्री भौरीराम, जाति बैरवा, निवासी सुल्तानपुरी, नई दिल्ली ।
6. अनिल कुमार पुत्र जयशंकर बडगुर्जर, जाति खटीक, निवासी मकान नम्बर 10–13, अशोक विहार, कनकपुरा रोड, वैशाली नगर, जयपुर ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट, जिला दौसा ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा अति. जिला कलक्टर दौसा दिनांक 4.8.2008 बाबत नामांतरकरण संख्या 402 दिनांक 25.12.99 एवं 490 दिनांक 23.10.2001 आदेश तहसीलदार लालसोट खसरा नम्बर 398, 399, 400 वाके ग्राम इन्दावा ।

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री राजकुमार शर्मा
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री राजेश शर्मा

निर्णय

दिनांक – 9.4.2019

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अति. जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 4.8.2008 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 7.10.2015 को प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

Scanned by CamScanner

यह कि ग्राम इन्दावा, तहसील लालसोट, जिला दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 398, 399, 400 का खातेदार भूरया पुत्र बरदा हिस्सा 1/2 था , जिसके फौत होने पर उसकी विरासत का नामांतरकरण संख्या 402 तहसीलदार लालसोट, जिला दौसा ने मृतक की सगी बहने लाडा बाई पत्नी भोरी राम व रुकमणी पत्नि छाजूराम के नाम दिनांक 25.12.99 को तस्दीक किया गया एवं लाडाबाई व रुकमणी के फौत होने पर उनकी विरासत का नामांतरकरण संख्या 490 रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 5 , राजाराम, जिया लाल, श्यामलाल, धर्मसिंह पि. छाजू राम एवं चेतन प्रकाश पुत्र भोरी राम के नाम तहसीलदार लालसोट द्वारा दिनांक 23.10. 2001 को तस्दीक किया गया ।

उक्त दोनों प्रश्नगत नामांतरकरणों से व्यथित होकर अपीलान्ट्स कल्याण पुत्र धन्ना वगैहरा द्वारा वसियत के आधार पर प्रथम अपील न्यायालय अति. जिला कलक्टर दौसा के समक्ष प्रस्तुत की , जिस पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 4.8.2008 पारित किया कि "खातेदार भूरया के फौत होने पर उसकी सगी बहनों के नाम नामांतरकरण खोला गया है, जो उत्तराधिकार कानून के अनुसार सही है । अपीलान्ट ने अपंजीकृत वसीयतनामें के आधार पर नामांतरकरण को चुनौती दी है, परन्तु वसियतनामें के सक्षम न्यायालय से प्रोबेट होने तक इसे वसियत के रूप में नहीं माना जा सकता है । अपीलान्टगण को प्रथमतः अपने खातेदारी हक सक्षम न्यायालय से तय कराने चाहिये । प्रस्तुत पत्रावली के अवलोकन से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 402 दिनांक 25.12.99 व 490 दिनांक 23.10.2001 में कोई विधिक त्रुटि किया जाना सिद्ध नहीं होता है । अतः उपरोक्त विवेचनों के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है "।

द्वितीय
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अति. जिला कलक्टर दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 4.8.2008 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह द्वितीय अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय अति. जिला कलक्टर दौसा दिनांक 4.8.2008 एवं प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 402 दिनांक 25.12.99 व 490 दिनांक 23.10.2001 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि के खतोदार भूरया की सेवा सुश्रुषा अपीलार्थीगण ने ही की थी तथा भूरया के फौत होने पर उसके कियाकर्म, द्वादशा आदि भी अपीलार्थीगण ने ही किये थे । खातेदार भूरया द्वारा अपीलान्ट्स की सेवा से प्रसन्न होकर अपीलान्ट संख्या 1 व 2 कल्याण, कन्हैया तथा रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 कल्याणी के पति व रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 से 6 के पिता मूलचन्द के पक्ष में वसियत निष्पादित करदी थी । तहसीलदार लालसोट ने

Scanned by CamScanner

वसियत को नरन्दाज करते हुये एवं विधिक वारिसान की जॉच किये बिना ही लाडा देवी व रूकमणी देवी के नाम प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक करने में विधिक त्रुटि की है एवं लाडा व रूकमणी की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 5 के नाम गलत तरीके तस्दीक किया है, जो प्रारम्भ से ही नल एण्ड वाईड है । उनका कहना था कि प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 402 व 409 तस्दीक करने से पूर्व तहसीलदार द्वारा अपीलार्थी 1 व 2 तथा मूलचन्द को कोई नोटिस नहीं दिया जबकि वे विधिवत हितबद्ध व प्रभावित पक्षकार थे, जिन्हें प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना आवश्यक था । विवादित भूमि पर अपीलान्ट्स काबिज काश्त है । उनका कहना था कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 135(1) के तहत 45 दिन तक नामांतरकरण तस्दीक करने के अधिकार ग्राम पंचायत को थे , लेकिन तहसीलदार ने जल्दबाजी करते हुये प्रश्गनत नामांतरकरण तस्दीक करने में क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया है । उनका कहना था कि विवादित भूमि का विक्रय रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 5 ने गलत रूप से बिना किसी कब्जे के बावजूद रेस्पोंडेन्ट संख्या 6 अनिल कुमार को कर दिया , जो फर्जी होने से उसके आधार पर उनके कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते । उनका कहना था कि विवादित भूमि के संबंध में अपीलान्ट्स का वाद अधिघोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लालसोट के समक्ष विचाराधीन है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के महत्वपूर्ण एवं विधिक तथ्यों को नजरन्दाज करते हुये अपीलान्ट की अपील खारिज करने में विधिक त्रुटि की है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण तहसीलदार लालसोट को मृतक के वारिसान की विधिवत जॉच की जाकर व उन्हें सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित करना चाहिये था । उनका कहना था कि अपीलार्थीगण वृद्ध व अनपढ है जिनको अधिवक्ता ने अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नहीं दी एवं दिनांक 10.8.2015 को अधिवक्ता के पास तारीख पूछने गया तो निर्णय के बारे में बताने पर आदेश की नकल प्राप्त कर मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ यह अपील प्रस्तुत की है । अतः विलम्ब के संबंध में लचिला रूख अपनाते हुये विलम्ब को क्षमा किया जावे । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश व प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त किये जावे तथा बाद जॉच पुनः नामांतरकरण तस्दीक करने हेतु प्रकरण तहसीलदार लालसोट को रिमाण्ड किया जावे । अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.डी. 1978 पेज 666, आर.आर.डी. 2007 पेज 109, आर.आर.डी. 2009 पेज 303, आर.आर.डी. 1984 पेज 602, ए.आई.आर. 1987 एस.सी. पेज 1355, आर.आर.डी. 1957 पेज 238, आर.आर.डी. 2002 पेज 280 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय
जयपुर

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि के खातेदार भूरया की विरासत का नामांतरकरण संख्या 402 दिनांक 25.12.99 को मृतक की सगी बहिने लाडा व रूकमणी के नाम

Scanned by CamScanner

एवं लाडा व रूकमणी की विरासत का नामांतरकरण संख्या 490 दिनांक 23.10.2001 को रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 5 के नाम हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत बाद जॉच तस्दीक किये है । अपीलान्ट्स ने फर्जी तरीके से अपंजीकृत वसियत कराई है जिसके आधार पर उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते । उनका कहना था कि वसियत का तथ्य विधि एवं तथ्य का जटिल प्रश्न है, जो नामांतरकरण की सरसरी कार्यवाही में तय नहीं हो सकता । अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर दौसा ने भी मृतक खातेदार भूरया की विरासत एवं लाडा व रूकमणी की विरासत के नामांतरकरण हिन्दू उत्तराधिकार कानून के अनुसार खोले जाने में कोई विधिक त्रुटि किया जाना सिद्ध नहीं होना मानते हुये एवं वसियतनामें के सक्षम न्यायालय से प्रोबेट होने तक इसे वसियत के रूप में नहीं मानने तथा अपीलान्ट्स को प्रथमतः अपने खातेदारी हक सक्षम न्यायालय से तय कराने के अभिमत के साथ अपीलाधीन आदेश दिनांक 4.8.2008 से अपीलान्ट की अपील खारिज की है, जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद विवादित भूमि के खातेदार भूरया की विरासत का नामांतरकरण संख्या 402 दिनांक 25.12.99 को मृतक की सगी बहिने लाडा व रूकमणी के नाम एवं लाडा व रूकमणी की विरासत का नामांतरकरण संख्या 490 दिनांक 23.10.2001 को रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 5 के नाम तहसीलदार लालसोट द्वारा तस्दीक किये जाने के संबंध में हैं । अपीलान्ट्स के हक में वसियत होने के आधार पर मृतक भूरया की भूरया की विरासत का नामांतरकरण अपने नाम करवाना चाहते हैं । रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 5 से विवादित भूमि के केता रेस्पोंडेन्ट संख्या 6 अनिल कुमार है । प्रश्नगत नामांतरकरणों के खिलाफ अपीलान्ट की अपील अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा खारिज की है ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जहॉ वसियत विवादित हो तो वसियत के विधि एवं तथ्य के जटिज प्रश्न नामांतरकरण की सरसरी कार्यवाही में तय नहीं हो सकते क्योंकि नामांतरकरण की कार्यवाही मात्र भू राजस्व की देयता के लिये राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियों की एकमात्र प्रकिया है । वसियत के आधार पर हक चाहने वाले व्यक्ति को अपने अधिकार सक्षम न्यायालय से तय कराने होगें । प्रश्नगत नामांतरकरणों के खिलाफ अपीलान्ट की अपील अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर दौसा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 4.8.2008 खातेदार भूरया के फौत होने पर उसकी सगी बहनों के नाम नामांतरकरण खोले जाने, जो उत्तराधिकार कानून के अनुसार सही होने तथा अपीलान्ट द्वारा अपंजीकृत वसीयतनामें के आधार पर नामांतरकरण को चुनौती देना, परन्तु वसियतनामें के सक्षम न्यायालय से प्रोबेट होने तक इसे वसियत के रूप में नहीं माना जाना मानते हुये एवं अपीलान्टगण को प्रथमतः अपने खातेदारी हक

Scanned by CamScanner

सक्षम न्यायालय से तय कराने चाहिये । प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 402 दिनांक 25.12.99 व 490 दिनांक 23.10.2001 में कोई विधिक त्रुटि किया जाना सिद्ध नहीं होना पाते हुये खारिज की है, जो उचित एवं विधिसम्यक है तथा इसमें हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)

अति. सम्भागीय आयुक्त

जयपु

Scanned by CamScanner